[illegible] 6264/98

[illegible]

[illegible]
14-7-2000

[illegible]
14-7-2000

[illegible]
14-7-2000

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

१६-६-९८

16.6.98

रु० ११२०-०

३६-०

२-४०

लेख्यकारी - श्री मती पाना देवी केजरीवाल
पति श्री राम श्री दास केजरीवाल
जीवित जाति मारवाड़ी अग्रवाल
निवास स्थान मुहल्ला अमला टोली
अन्दर सहर डालटेनगंज पत्रालय
एवं थाना डालटेनगंज जिला
पलामू पेशा गृहस्थी राष्ट्रियता

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(३)

लेख्यधारी - श्री मती प्रभावती देवी पति श्री
गिरजा प्रसाद गिरि जीवित जाति
अतिथ ब्राह्मण निवास स्थान
पिपरी पंचायत कजरू खुर्द थाना
बिश्रामपुर जिला पलामू पेशा
गृहस्थी राष्ट्रीयता भारतीय।

लेख्य प्रकार - क्षेपाला बैला कबाला:/ विक्रयपत्र।

I. मूल्य - मोवलिग २८,०००) अट्ठाइस हजार रुपया।

II बाजार मूल्य - मोवलिग २८,०००) अट्ठाइस हजार रुपया

सम्पत्ति विवरण - गृह निर्माण योग्य एवं गृहनिर्माण
के लिए परती जमीन तेताफल ०.०८
डी: अर्थात डिसमील जमीन जिसकी
लम्बाई पूरब से पश्चिम ७० फिट
एवं चौड़ाई दक्षिण से उत्तर ५० फिट

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(३)

यानी 3500 वर्ग फिट, पैंतीस सौ वर्ग फिट होता है, अन्दर मौजा निमियां थाना डालटेनगंज जिला पलामू सब रजिस्ट्री एवं जिला रजिस्ट्री औफीस मोकाम डालटेनगंज जिला पलामू पार्ट होल्डींग हकियत खरीदगी बजरीये केवाला नम्बर ४६६८ सन् १९७१ ईस्वी जो डालटेनगंज रजिस्ट्री औफीस मे रजिस्ट्री हुई है, एवं तफसील गुन्दर्जे जैल, नक्सा दो प्रति साथ संलग्न है जो यह वसीका का पार्ट होगा।

थानानं: तौजी नं: खेवट नं० चौहद्दी
१८२- ८०- १ उ० [illegible]

खाता प्लौट रकबा द० [illegible]
३८- १३२- 0-0५डी: पू० [illegible]

(४)

खाता	प्लौट	रकबा	चौहद्दी
४४-	१३७-	०-०३ डी:	उ: लेरख खरीदगी की जमीन द: कच्ची सड़क एवं सीः सुदना पु: औरंगाबाद सड़क प: लेरख खरीदगी की जमीन

चौवालीस, एक सौ सैंतीस

~~०-०८ डिसमिल जमीन बिक्री होता है।~~

मालगुजारी सलाना मो: ०-१५ पैसा आना विशेष माल दोनो खातों का एक साथ है।

नाम मालिक बिहार सरकार बजरीये सर्किल ऑफीसर साहब मोकाम डालटेनगंज जिला पालामू।

उपर वर्णित सम्पत्ति मेरी स्वयं की खरीदगी हुई सम्पत्ति में से है जिसे मैंने श्री सरजु प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय गंगा दयाल सिंह से खाता नं० ३५ प्लौट नं० १३५ को बजरीये केवाला नं० ४६६८ सन् १९६९ ई० श्री डालटेनगंज निबंधन कार्यालय के बुक नं० १ भौलुम नं० ६८ पृष्ठ संख्या ४७८ से लेकर ४८३ तक मे दिनांक ७-१०-१९६९ ई० को निबंधित किया गया है, शामिल है, एवं प्लौट नं० १३६ जिसका खाता नं० ४४- है, औ सुओ मोटो केस नं० १ सन् ७१-७२

रा-रा/ सुधार बाबत पंजी नं बाद खा०
दि० १५-७-८५

से माल निर्धारण हुआ है। केवाला की जमीन
का भी दाखिल खारिज हो चुका है तथा रसीद
कट रहा है। इस प्रकार दोनों प्लोटों की रसीद
साल बसाल बिहार सरकार के सिरिस्ता
से कट रहा है। उपरोक्त सम्पत्ति पर किसी
प्रकार का नम्बरा भार तथा सभी दोषों से
मुक्त है। किसी प्रकार का बादेन भी नहीं
कि है जिसका मैं लेख्यधारीणी विश्वास
दिलाती हूँ। इस प्रकार खरीदने के दिन
से आज तक मेरा दखल कब्जा तथा
स्वामित्व निर्विवाद रूप से चला आ रहा
है और आज भी है।

चूँकि मैं आम तौर पर शहर
डालटेनगंज में ही रहा करती हूँ, और
डालटेनगंज से दूर इस ग्राम निमियाँ की
अपनी सम्पत्ती की देख भाल कर पाना मेरे
बुते सम्भव प्रतीत नहीं हो पाता। इस
लिए मैंने इस सम्बन्ध में अपने पति
तथा परिवार के अन्य सभी सदस्यों
से अच्छी तरह से बिचार विमर्श कि
और सर्व सम्मति से यही निर्णय लिया

सही पानादेवी के जड़ीवाला बा० २४०
ता० १६-७-८८

(6)

कि अपनी ग्राम निमियाँ की सम्पूर्ण भूमि को छोटे छोटे भू खण्डों मे विभक्त करके गृह निर्माण के इच्छुक व्यक्तियों के हाथो इसे बिक्री कर दिया जाये। अतः मैने इसके बिक्री की चर्चा कई व्यक्तियों के समक्ष चलाया और इस बात का प्रचार भी कराया। परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीदार आये और सबों ने इसका अलग अलग मुल्यांकन भी किया, परन्तु अन्त मे लेख्यधारीणी ने भी अपने पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आ कर बिक्रय सम्पत्ति का भलि-भांति निरिक्षण किया तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए इसका आज के बाजार भाव के अनुसार उचित तथा अधिकतम मूल्य मो०लिग 28000) अठाइस हजार रुपया निर्धारित किया तथा इसी निर्धारित मूल्य मे इसे स्वंय ही खरीदना भी स्वीकार किया। मैंने भी इस मूल्यांकण को प्रत्येक बिन्दु से उचित तथा अधिकतम देख कर सौदा को पक्का कर लिया।

हम लोग दोनों पक्ष के बीच यह तय हुआ कि उपर वर्णित सम्पत्ति के

[illegible]

विक्रय पत्र की रजिस्ट्री लेख्यधारीणी के नाम से कर दूंगी, और इसकी रजिस्ट्री के बाद इस के मूल्य की सारी रकम को लेख्यधारीणी से वसूल पाकर बदले में मै इसके रजिस्ट्री की रसीद को लेख्यधारीणी या इनके द्वारा मनोनित व्यक्ति के नाम से दर्ज कर के इन्हे दे दूंगी। मै द्वारा इस प्रकार से रजिस्ट्री की रसीद को दर्ज कर के दिया जाना ही इस बात का पूर्ण तथा अकाट्य प्रमाण होगा कि मैंने मूल्य की पूरी रकम को वसूल पा लि हूं और मूल्य की रकम मे से अब मुझे कुछ भी पाना शेष नही रह गया।

मूल्य की इस प्रकार से वसूली के साथ ही यह केवाला आज से ही पूरी तरह से असर मे आ गया और मैंने ऊपर वर्णित विक्रय सम्पत्ती जो संलग्न नक्से मे भी लाल रंग से दिखाया गया है पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दाखल कब्जा हटा कर इस पर स्वामी लेख्यधारीणी श्रीमती प्रभावती देवी

[illegible]
ता० 7-3-85

(५)

को स्वामित्व तथा दखल कब्जा दे दिया। इस प्रकार इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुझे आज तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधायें प्राप्त थे, अथवा भविष्य में प्राप्त होते वे सब ज्यों के त्यों लेखपधारीगी को प्राप्त हुए। अब इन्हें पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग तथा उपभोग कर के लाभ उठावें। इस में अपना गृह निर्माण करावें अथवा जैसा उचित समझें इसका इस्तेमाल करें। इस से अब मुझे मेरे किसी भी अन्य उत्तराधिकारी अथवा स्थानापन्न को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं रह गया। इन्हें चाहिए कि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में बिहार सरकार के सिरिस्ते में अपना जौदीरा आवेदन पत्र द्वारा अपने नाम का दाखिल खारिज करा लें तथा इसके लगान की रसीदें स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

इस लिए मैंने अपने शरीर तथा मन की पूरी स्वस्थता में अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस विक्रय पत्र को लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

आज दिनांक १५ माह जून सन १९८८ ई०

दि० १८-७-८८